कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 554 / FP/UK/ROAD/34189/2018 देहरादूनः दिनांकः 25 अगस्त, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में मोरी के अंर्तगत ओडाटा से सारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.8385 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबध मे।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/103/2019/एफ0सी0/2388, दिनांकः–31–01–2020।

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–260/12–1 दिनांक 10.08.2022 एवं उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्र दिनांक–27.07.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः –

क्र. सं.	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अर्थात् 7.677 है0 ग्राम–थली सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–260/12–1 दिनांक 10.08.2022 एवं उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्र दिनांक–27.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि **शर्त संख्या–01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के बदले दुगुने अर्थात् 7.677 है0 ग्राम थली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा कर दी गयी है, उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी उत्तरकाशी के आदेश सं0–6719/आठ–विविध/2019–20 दिनांक–18.06.2020 के द्वारा हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करा दिया गया है। **(संलग्न–1 व 2)**
2	गाईड लाईन पैरा 2.4(1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंर्तगत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–260/12–1 दिनांक 10.08.2022 एवं उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्र दिनांक–27.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त भूमि के बदले दोगुने भूमि (थली–सिविल सोयम) दी गयी है जिसका हस्तान्तरण एवं नामान्तरण आदेश प्रेषित है, एवं इस संबध में उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–3 के पत्रांक सं0–971/X-3-22/14(02)/2021, भाग–1 देहरादून दिनांक–27.01.2022 के द्वारा संरक्षित वन घोषित करा दिया गया है।**(संलग्न–03)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के	वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–260/12–1 दिनांक 10.08.2022 एवं उप वन

	तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्र दिनांक–27.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा करा दी गयी है।(संलग्न–4)
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयौक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–260/12–1 दिनांक 10.08.2022 एवं उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्र दिनांक–27.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि **बिन्दु संख्या–04** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है, इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।**(संलग्न–05)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost.NPV etc) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–260/12–1 दिनांक 10.08.2022 एवं उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्र दिनांक–27.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा **बिन्दु संख्या–05** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost.NPV etc) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा करा दी गयी **(संलग्न–06)**
6	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 250 से अधिक न हो।	वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–260/12–1 दिनांक 10.08.2022 एवं उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्र दिनांक–27.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या–06 के अनुपालन में कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया गया है। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 176 है।**(संलग्न–7)**

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–260/12–1 दिनांक 10.08.2022 एवं उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्र दिनांक–27.07.2022 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

25/8/22

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षणएवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : / FP/UK/ROAD/34189/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–260/12–1 दिनांक 10.08.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 मोरी।

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षणएवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।